फरहद के. वाडिया

बनाम

भारत संघ और अन्य

(2008 की सिविल अपील संख्या 7131)

5 दिसम्बर, 2008

[एस.बी. सिन्हा और सिरियाक जोसेफ, जेजे.]

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 - ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण और विनियमन - कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप - क्षेत्र - अभिनिर्धारित : ध्वनि प्रदूषण के संबंध में, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि एक नागरिक के पास कुछ अधिकार हैं जो 'शान्ति की आवश्यकता', 'नींद की आवश्यकता', 'नींद के दौरान प्रक्रिया' और 'आराम', जो जैविक आवश्यकताएं हैं और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं- शोर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जिसे किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

भारत का संविधान, 1950 - अनु. 226- दो रिट याचिकाएं - बाद की रिट याचिका - की पोषणीयता - अभिनिर्धारित: पोषणीय नहीं, जब याचिका किसी उद्देश्य को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने के लिए दायर की

गई हो, जिसे पहले की रिट याचिका में पारित आदेश के मद्देनजर सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता था - सौहार्द/मैत्री का सिध्दान्त।

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक पूर्व रिट याचिका (जनहित याचिका) में, याचिकाकर्ताओं ने मुंबई शहर में लाउडस्पीकरों के उपयोग के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य को, खासकर नवरात्रि के त्योहारी सीजन के दौरान और गणेश उत्सव, जिन क्षेत्रों को शान्त क्षेत्र घोषित किया गया है और किया जाना चाहिए, निर्देश देने की मांग की थी। 25-09-2003 के अंतरिम आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने समय-समय पर संशोधित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में परिभाषित और विवेचन के अनुसार "शान्त क्षेत्र" के संबंध में लाउडस्पीकर की अनुमति देने पर रोक लगा दी और राज्य द्वारा उसके खिलाफ दायर एक पुनर्विलोकन आवेदन पर, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थानों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी अन्य क्षेत्र के आसपास कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र में निषेध लागू होगा।

अपीलकर्ता ने पश्चिमी संगीत समारोह आयोजित करने के लिए तीन दिनों के लिए महाराष्ट्र राज्य के स्वामित्व और संचालन वाले मुंबई शहर में एक ओपन थिएटर, रंग भवन को बुक करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। चूंकि रंग भवन एक शैक्षणिक संस्थान और एक

अस्पताल से 100 मीटर के भीतर स्थित था, इसलिए राज्य द्वारा आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि 25-09-2003 के पहले उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, रंग भवन शान्त क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और ऐसे शान्त क्षेत्र में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसके बाद, अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका ¼एक कथित जनहित याचिका भी) दायर की जिसमें यह घोषणा करने का निवेदन किया गया कि रंग भवन शान्त क्षेत्र में नहीं आता है ताकि सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों की मेजबानी में लाउडस्पीकर के उपयोग को रोका जा सके और राज्य रंग भवन को अपने परिसर में संगीत कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक और संगीत समारोह आयोजित करने की अनुमति देने के निर्देश दिये जा सके। 'वाई' आदि जिन्होंने पहले रिट याचिका ¼जनहित याचिका½ दायर की थी, उन्हें कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई।

इस न्यायालय में अपील, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि वैधानिक नियमों के संदर्भ में कोई शान्त क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि

की है। यह निवेदन किया गया कि, किसी भी कार्यक्रम में, रंग भवन के संबंध में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छूट दी जानी चाहिए कि इतनी सस्ती दरों पर मुंबई शहर में किसी अन्य स्थान पर संगीत कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए कहा, अभिनिर्धारित किया:-

1.1. उच्च न्यायालय ने पहले की जनहित याचिका, रिट याचिका संख्या 2053/2003 जिसमें निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था। यदि उक्त आदेश को संशोधित या स्पष्ट करने की आवश्यकता थी और/या रंग भवन के संबंध में छूट की प्रार्थना की जानी थी और दी गई थी, तो अपीलकर्ता को उक्त कार्यवाही में एक आवेदन दायर करना चाहिए था। अनुतोष प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्र जनहित याचिका जो अदालत द्वारा पारित निषेधाज्ञा के आदेश के विपरीत और असंगत होगी, सुनवाई योग्य नहीं है। अन्य बातों के साथ-साथ, सौहार्द या मित्रता का सिद्घांत भी यही मांग करता है। ऐसा नहीं था कि अपीलकर्ता को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। जिस आधार पर अपीलकर्ता का आवेदन खारिज किया गया, वह उक्त रिट याचिका संख्या 2053/2003 में दिनांक 25.09.2003 को पारित आदेश था। महाराष्ट्र राज्य ने स्वयं महसूस किया और वास्तव में दिनांक 25.09.2003 के आदेश से बाध्य था और इस प्रकार 2003 की उक्त रिट याचिका संख्या 2053 में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर

किया, जिसे अनुमति नहीं दी गई। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 25.09.2003 को पारित करते समय यह नहीं कहा कि शान्त क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता है, लेकिन शान्त क्षेत्र को नियमित करने का आदेश पारित किया, जैसा कि 'नियमों में परिभाषित और विवेचित किया गया है।' इसके पक्षकारों और विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य ने उक्त आदेश को उसी सन्दर्भ में समझा। कोई यह समझने में विफल है कि उच्च न्यायालय द्वारा किस आधार पर रिट याचिका पर विचार किया जा सकता था। रिट याचिका अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दायर की गई थी जिसे सीधे तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता था। [पैरा 14, 15 और 17]

1.2 ध्वनि प्रदूषण के संबंध में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि एक नागरिक के पास कुछ अधिकार हैं जैसे 'शान्ति की आवश्यकता', 'नींद की आवश्यकता', 'नींद के दौरान प्रक्रिया' और 'आराम', जो जैविक आवश्यकताओं और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। शान्ति को स्वर्णिम माना जाता है। इसे मानवाधिकारों में से एक माना जाता है क्योंकि शोर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जिसे किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाना आवश्यक है। इस न्यायालय ने विभिन्न मामलों में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में भी स्वतः संज्ञान लिया है और समय-समय पर आदेश पारित किए हैं। राज्य सरकार उच्च न्यायालय

द्वारा पारित आदेश के अलावा इस न्यायालय के आदेश से भी बाध्य है। यदि छूट और/या संशोधन का कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता है, तो इसे केवल उपर्युक्त दो रिट याचिकाओं में इस न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा ही पारित किया जाना है। इस प्रकार, एक अलग रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। [पैरा 18, 20 और 23]

ओम बिरांगना रिलिजियश सोसायटी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **(1996) 100 सीडब्ल्यूएन 617;** ध्वनि प्रदूषण, इन रि बनाम भारत संघ और अन्य, **(2005) 5 एससीसी 727, (2005) 5 एससीसी 728, (2005) 5 एससीसी 730 और (2005) 5 एससीसी 731, (2005) 5 एससीसी 733, (2005) 8 एससीसी 796, सन्दर्भित।**

ध्वनि प्रदूषण, कानून **और** उपचार द्वारा न्यायमुर्ति भगवती प्रसाद बनर्जी, **सन्दर्भित।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1731/2008।

हाईकोर्ट ऑफ ज्युडिकेचर, बाम्बे की रिट याचिका संख्या 2557/2004 के निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 16.8.2004 से।

एस. गणेश, हरीश जगतियानी, आर.जी. पदिया, भार्गव वी. देसाई, राहुल गुप्ता, रीमा शर्मा, सावित्री पाण्डेय, संजय पाण्डेय, डी.एस. माहरा

¼ अनिल कटियार के लिए ½, मुकेश वर्मा, यशपाल ढींगरा, विवेक विश्नोई **और** रवींद्र केशवराव एडसुरे उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

एस.बी. सिन्हा, जे. 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. क्या रंग भवन नाम के ओपन थिएटर में संगीत समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में स्थित है, यह प्रश्न इस अपील में शामिल है जो रिट याचिका संख्या 2257/2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खण्डपीठ द्वारा दिनांक 16.8.2004 को पारित निर्णय **और** आदेश से उत्पन्न होता है।

3. मामले का मूल तथ्य विवाद में नहीं है।

रंग भवन महाराष्ट्र राज्य के स्वामित्व **और** संचालन वाली एक संस्था है। यह मुंबई शहर का एकमात्र आेपन थिएटर है। इसे संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से किराये पर दिया जाता है। यह निजी पार्टियों को समारोह आयोजित करने की अनुमति देने के लिए बहुत कम राशि लेता है। इसमें 4000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के पाश्चात्य **और** भारतीय दोनों महानतम कलाकारों ने इसमें प्रदर्शन किया है"।

डॉ. यशवन्त त्रिम्बक ओके एवं अन्य द्वारा मुम्बई शहर में आमतौर पर **और** विशेष रूप से नवरात्रि और गणेश उत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य को निर्देश देने के लिए जनहित याचिका दायर की।

4. 25.09.2003 को या उसके आसपास, बॉम्बे हाई कोर्ट की खण्डपीठ द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें निर्देश देते हुए कहाः

(1) इस याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटारे तक, अर्थात रिट याचिका संख्या 2053/2003, समय-समय पर यथा संशोधित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में परिभाषित और विवेचन के अनुसार "शान्त क्षेत्र" कें संबंध में कोई लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) याचिका की लंबित सुनवाई और अंतिम निपटारे तक, उत्तरदाताओं को लाउडस्पीकर की अनुमति जारी करने से पहले यह सत्यापित और प्रमाणित करने, कि निर्धारित शान्त क्षेत्र में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा, का निर्देश दिया जाता है।

(3) अधिकारी अनुमति में उल्लिखित शर्तों का कार्यान्वयन और पालन भी सुनिश्चित करेंगे।

(4) यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता इंगित करते हैं कि किसी भी स्थान पर उल्लंघन हुआ है, तो अधिकारी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।

5. महाराष्ट्र राज्य द्वारा इसके विरूद्ध एक पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया गया था। राज्य के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दी गई दलील, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.12.2003 में अभिलिखित किया था, इस प्रकार हैः

> "4. विद्वान महाधिवक्ता ने निवदेन किया कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) को उसकी अनुसूची के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट है कि शान्त क्षेत्र जिसे अनुसूची के नोट में परिभाषित किया गया है, में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थान या कोई अन्य क्षेत्र जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया है शामिल नहीं होगा, लेकिन नियम 6 के तहत निषेध एेसे संस्थानों के आसपास न्यूनतम 100 मीटर से कम नहीं के क्षेत्रों पर लागू होगा।

उक्त पुनर्विलोकन याचिका पर, यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

"7. जहां तक पहले बिंदु का संबंध है, हमारी राय में, 25 सितंबर 2003 को हमारे द्वारा जारी निर्देश स्पष्ट है। प्रथम दृष्टया, हमें एेसा प्रतीत होता है कि नियमों के प्रावधान "उस क्षेत्र पर लागू होंगे जिसमें कम से कम" अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थानों या किसी अन्य क्षेत्र के आसपास सौ मीटर की दूरी, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया है। हमारे विचार में, यह नियम 6 के खंड (1) में प्रयुक्त वाक्यांश के अनुरूप होगा जो पूरी तरह से "किसी भी संगीत" को बजाने या "किसी भी ध्वनि एम्पलीफायरों" के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। यदि यह नियम बनाने वाले प्राधिकारी का इरादा होता, तो उसने "अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालय, धार्मिक स्थल आदि के आसपास न्यूनतम 100 मीटर का क्षेत्र" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया होता। इसके अलावा, ऐसी व्याख्या उन संस्थानों के भीतर विधि के अनुसार गतिविधियों की अनुमति देगी।"

8. हालांकि, साथ ही, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा व्यक्त की गई आशंका का भी ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि ऐसे संगठनों, संस्थानों आदि के संबंध में न तो कोई मानक है और न ही कोई सीमा। ऐसे संस्थानों के संबंध में भी, नियम 5 में निर्धारित सामान्य प्रावधान जो लाउडस्पीकर/सार्वजनिक संबोधन प्राणाली के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं, लागू होंगे।

6. जब उक्त आदेश लागू था, अपीलकर्ता ने पश्चिमी सांस्कृतिक संगीत के प्रदर्शन के संबंध में 13 से 15 अगस्त, 2004 तक रंग भवन बुक करने के लिए एक आवेदन किया। उक्त आवेदन को राज्य द्वारा दिनांक 02.06.2004 के आदेश द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया थाः

> "माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के आदेश दिनांक 25.09.2003 द्वारा ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं विनियमन) नियम 2000 के तहत शान्त क्षेत्र में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, आजाद मैदान पुलिस स्टेशन, मुंबई ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लिखित रूप से सूचित किया है कि रंग भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

उपर्युक्त कारणों से, आपके दिनांक 01.05.2004 के पत्र द्वारा रंग भवन को तीन दिनों के लिए, अर्थात 13, 14 **और** 15 अगस्त, 2004 को बुक करने का आपका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है..."

7. सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय ने दिनांक 09.07.2004 को सचिव, विद्युत उत्पादन को संबोधित एक पत्र में यह भी कहाः

"आपको सूचित किया जाता है कि, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 2503 दिनांकित 25.09.2003, के अनुसार रंग भवन, धोबी तालाब, मुंबई, आेपन एयर थिएटर शान्त क्षेत्र के अन्र्तगत आता है और इसलिए इसका लाउडस्पीकर के उपयोग किये जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपर्युक्त कारणों से, आपके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।"

8. यह तर्क देते हुए कि उक्त रंग भवन पिछले कुछ वर्षों से बंद पड़ा हुआ था **और** उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश महाराष्ट्र राज्य द्वारा बनाए गए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप नहीं है, अपीलकर्ता द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा, यह

भी बताया गया कि कुछ शैक्षणिक संस्थान **और** अस्पताल भी लाउडस्पीकर का उपयोग कर रहे हैं।

उक्त रिट याचिका में, निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गईः

"(ए) यह कि माननीय न्यायालय इंडिपेंडेंस रॉक कॉन्सर्ट की मेजबानी की अनुमति प्राप्त करने से संबंधित रिकॉर्ड और कार्यवाही के लिए सर्शिओरीरी की प्रकृति में सर्शिओरीरी या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करें। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 से रंग भवन में और उसकी वैधता से संतुष्ट होने के बाद आक्षेपित आदेश दिनांक 09.07.2004 को रद्द एवं अपास्त करें...."

(बी) यह कि माननीय न्यायालय प्रतिवादियों, उनके अभिकर्त्ताओं, नौकरों और कर्मचारियों को किसी भी तरीके से आक्षेपित आदेश दिनांक 09.07.2004 की पालना में कार्य करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या निषेधाज्ञा की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करें.....;

(सी) यह कि माननीय न्यायालय उत्तरदाताओं को रंग भवन को अपने परिसर में संगीत कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक

और संगीत समारोह आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश देने की एक परमादेश की रिट या परमादेश की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की कृपा करें;

(डी) यह कि माननीय न्यायालय उत्तरदाताओं को उपयुक्त तिथियों को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध उपयुक्त तिथियों पर ऐसे परिसर की उपलब्धता के अधीन अपने परिसर में इंडिपेडेंस रॉक फेस्टिवल आयोजित करने की अनुमित देने की एक परमादेश रिट या परमादेश की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त, रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(ई) यह कि माननीय न्यायालय यह घोषित करने की कृपा करें की रंग भवन शांत क्षेत्र में नहीं आता है ताकि सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम के आयोजन में लाउडस्पीकरों के उपयोग को रोका जा सके।

9. जैसा कि यहां देखा गया है, उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

10. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गणेश ने प्रासंगिक नियमों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि चूंकि वैधानिक नियमों के संदर्भ में कोई शान्त क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है।

यह आग्रह किया गया कि किसी भी स्थिति में, छूट मिलनी चाहिए। रंग भवन के संबंध में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई की इतनी सस्ती दरों पर मुंबई शहर में किसी अन्य स्थान पर संगीत कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य भी अपीलकर्ता के मुद्दे का समर्थन कर रहा है।

11. दूसरी ओर, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आर.जी. पाडिया ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता ने जिस वाद हेतुक कारण के लिए रिट याचिका दायर की थी, एक बार के अनुरोध की अस्वीकृति के कारण, रिट याचिका निष्फल हो गई है।

इसके अलावा हमारा ध्यान ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और विनियमन के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों और निर्णयों की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि

केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की वैधता को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, इसलिए आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. अपीलकर्ता मुंबई के एक प्रमुख ऑडियो स्टूडियो 'पावर प्रोडक्शंस' का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। वह फिल्मों, विज्ञापन फिल्मों आदि के लिए साउंडट्रेक करते हैं। कहा जाता है कि वह 18 वर्षों से अधिक समय से भारत में कॉन्सर्ट प्रमोटर है। उन्होंने उक्त रिट याचिका में उत्तरदाताओं द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2004 की वैधता पर सवाल उठाया।

डॉ. यशवन्त त्रिंबक आेके और अन्य, जिन्होंने रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 2053/2003 के तहत जनहित याचिका दायर की थी, उन्हें कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। दूसरी जनहित याचिका में भी उसमें पारित आदेश में संशोधन के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया गया था।

13. जबकि जनहित याचिका डॉ. यशवन्त त्रिम्बक आेके एवं अन्य द्वारा दायर की गई थी। यह तर्क देते हुए कि अन्य क्षेत्रों में लाउडस्पीकरों के उपयोग के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और उन्हें शान्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, यहां अपीलकर्ता

द्वारा अपवाद के अनुरोध के लिए कथित जनहित याचिका दायर की गई थी।

14. उच्च न्यायालय ने पहले की जनहित याचिका, रिट याचिका संख्या 2053/2003 में, निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया था। यदि उक्त आदेश को संशोधित या स्पष्ट करने की आवश्यकता थी और/या रंग भवन के संबंध में छूट की प्रार्थना की जानी थी और दी गई थी, तो अपीलकर्ता को उक्त कार्यवाही में एक आवेदन दायर करना चाहिए था। अनुतोष प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्र जनहित याचिका जो न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा के आदेश के विपरीत और असंगत होगी, सुनवाई योग्य नहीं है। अन्य बातों के साथ-साथ, सौहार्द या मित्रता का सिद्धान्त भी यही मांग करता है।

15. ऐसा नहीं था कि अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। जैसा कि यहां पहले बताया गया है, जिस आधार पर अपीलकर्ता का आवेदन खारिज किया गया था वह उक्त रिट याचिका संख्या 2053/2003 में पारित दिनांक 25.09.2003 का आदेश था।

महाराष्ट्र राज्य स्वयं महसूस करता था और वास्तव में आदेश दिनांक 25.09.2003 द्वारा बाध्य था और इस प्रकार उक्त रिट याचिका

संख्या 2053/2003 में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया गया, जिसे, जैसा कि यहां पहले देखा गया था, अनुमति नहीं दी गई थी।

हम यह समझने में असफल हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा किस आधार पर रिट याचिका पर विचार किया जा सकता था। हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि रिट याचिका अप्रत्यक्ष रूप से एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दायर की गई थी जिसे सीधे तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की है।

16. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (संक्षेप में ''नियम'') धारा 3 कि उप-धारा (2) के खंड (ii), धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (बी) और धारा 25 की उपधारा (1) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 सपठित नियम पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं।

> ''क्षेत्र/भाग'' का अर्थ उन सभी क्षेत्रों से है जो नियमों से जुड़ी अनुसूची में दी गई चार श्रेणियों में से किसी एक में आते हैं।

“शैक्षिक संस्थान'' और ''अस्पताल'' को नियमावली के नियम 2(ई) और 2(एफ) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया हैः

“(ई) “शैक्षिक संस्थान'' का अर्थ है एक स्कूल, मदरसा, कॉलेज, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक अकादमियां, प्रशिक्षण संस्थान या अन्य शैक्षिणक प्रतिष्ठान, जरूरी नहीं कि एक चार्टर्ड संस्थान और इसमें न केवल भवन शामिल हैं, बल्कि शैक्षिक शिक्षा के पूर्ण दायरे की प्राप्ति के लिए, जिसमें वे सभी आधार शामिल हैं जो मानसिक, नैतिक और सामाजिक शिक्षा और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हैं;

(एफ) “अस्पताल'' का अर्थ बीमार, घायल, अशक्त या वृद्ध व्यक्तियों के स्वागत और देखभाल के लिए एक संस्थान है, और इसमें सरकारी या निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक शामिल हैं।

नियमों के नियम 3 का उपनियम (5) इस प्रकार हैः

"(5) इन नियमों के प्रयोजन के लिए अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास 100 मीटर से कम के क्षेत्र को शान्त क्षेत्र/भाग घोषित किया जा सकता है।"

नियमों के नियम 5 इस प्रकार हैः

"(5) लाउडस्पीकर/सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के उपयोग पर प्रतिबंध -(1) प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बिना लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2) लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग रात में (10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच) संचार के लिए बंद परिसरों को छोड़कर नहीं किया जाएगा, उदाहरण के लिए सभागार, सम्मलेन कक्ष, सामुदायिक हॉल और बैंक्वेट हॉल।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, राज्य सरकार ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक नियमों और शर्तों के अधीन, किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव के अवसर पर या उसके दौरान एक सीमित अवधि की, जो एक कैलेंडर वर्ष के

दौरान कुल मिलाकर पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए, रात के समय (10.00 बजे से 12.00 बजे मध्यरात्री तक) लाउडस्पीकर या सार्वजिनक संबोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति दे सकती है।

शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अनुसूची में शान्त क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि, इसमें साथ संलग्न किया गया है जो इस प्रकार हैः

"3. शान्त क्षेत्र एक एेसा क्षेत्र है जो अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थानों या किसी अन्य क्षेत्र के आसपास 100 मीटर से कम नहीं होता है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया है।"

17. यह तर्क कि राज्य सरकार ने उक्त क्षेत्र को शान्त क्षेत्र घोषित नहीं किया है, हमारी राय में इसके अलावा उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.09.2003 को अपना अंतरिम आदेश पारित करते समय यह नहीं कहा कि शान्त क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता है, लेकिन साइलेंस जोन के संबंध में नियमों में परिभाषित और चर्चा के अनुसार संयम का आदेश पारित किया। इसके पक्षकारों और विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य ने उक्त आदेश को उसी आलोक में समझा।

18. ध्वनि प्रदूषण के संबंध में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि एक नागरिक के पास कुछ अधिकार हैं जैसे "शान्त की आवश्यकता', 'नींद की आवश्यकता', 'नींद के दौरान प्रक्रिया' और 'आराम', जो जैविक आवश्यकताएं हैं और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। शान्ति को स्वर्णिम माना जाता है। इसे मानवाधिकारों में से एक माना जाता है क्योंकि शोर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जिसे किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाना आवश्यक है। [देखें- जस्टिस भगवती प्रोसाद बनर्जी द्वारा ध्वनि प्रदूषण, कानून और उपचार]

19. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में और विशेष रूप से ओम बिरांगना रिलिजियश सोसायटी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [11 अगस्त, 1998 को निर्णय] में विभिन्न निर्देश जारी किए; उनमें से कुछ हैः

> "(ए) शहर के आवासीय क्षेत्रों के भीतर हार्न प्रकार के लाउड-स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और एसे हार्न प्रकार के लाउड-स्पीकरों के माध्यम से पूर्व-रिकार्ड किए गए संगीत आदि के प्लेबैक के उपयोग पर भी प्रतिबंध होगा, जब तक कि ध्वनि-सीमक के साथ उपयोग न किया जाए।

(बी) सांस्कृतिक समारोहों में जो लाइव समारोह हैं, एेसे पूर्व-रिकाॅर्ड किए गए संगीत का उपयोग घोषणा और/या वास्तविक प्रदर्शन के अलावा नहीं किया जाना चाहिए और दर्शकों के सामने प्रदर्शन के क्षेत्र के भीतर स्पीकर बाॅक्स की नियुक्ति को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण प्रदर्शन के मुख्य क्षेत्र के बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

(सी) आवासीय क्षेत्र या वे क्षेत्र जहां शैक्षणिक संस्थान स्थित है बोर्ड/परिषद परिक्षाएं आयोजित करने के कम से कम तीन दिन पहले को छोड़कर खुली हवा में सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजितकिया जा सकता है।

(डी) शान्त क्षेत्र से एेसे समारोह आयोजित करने की दूरी 100 मीटर होनी चाहिए और जहां तक स्कूलों, काॅलेजों, विश्वविद्यालयों, न्यायालयों का सवाल है, इसे कार्यालय समय और/या शिक्षण घण्टे के अंत तक शान्त क्षेत्र के रूप में माना जाएगा। अस्पतालों और कुछ प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नर्सिंग होमों को चौबीसों घंटे साइलेंस जोन के रूप में माना जाएगा।''

[देखें- जस्टिस भगवती प्रसाद बनर्जी द्वारा लिखित शोर प्रदूषण, कानून और उपचार, पृष्ठ 327-328]

20. इस न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण में भी स्वतः संज्ञान लिया है। इसने समय-समय पर ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में विभिन्न आदेश पारित किए।, इन री बनाम भारत संघ और अन्य, जो [(2005) 5 एससीसी 727], [(2005) 5 एससीसी 728], [(2005) 5 एससीसी 730] और [(2005) 5 एससीसी 731] में रिपोर्ट किए गए हैं।

21. उक्त रिट याचिका में इस न्यायालय की एक डिवीजन बैंच द्वारा एक विस्तृत निर्णय दिया गया था, जिसे तब [(2005) 5 एससीसी 733] से रिपोर्ट किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 व 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा कई दिशानिर्देश जारी किए गए थे। उसमें, ओम बिरांगना रिलिजियश सोसायटी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(1996) 100 सीडब्ल्यूएन 617] में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया गया है।

जहां तक लाउडस्पीकरों और एम्पलीफायरों का संबंध है, यह निर्देशित किया गयाः

> "171. लाउडस्पीकर और एम्पलीफायर या अन्य उपकरण या गैजेट जो अपमानजनक शोर उत्पन्न करते हैं, एक बार

कानून का उल्लघंन करने के रूप में पाए जाने पर, उस संबंध में विधि में प्रावधान करके उन्हें जब्त कर लिया जाना चाहिए।''

22. मामला फिर से इस न्यायालय के समक्ष आया और उसमें पारित एक आदेश को [(2005) 8 एससीसी 796] में रिपोर्ट किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों की वैधता और विशेष रूप से नियम 5 को अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1088 (ई) दिनांक 11.10.2002 द्वारा संशोधित किया गया है, का संज्ञान लिया गया। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को जिसे [(2005) 5 एससीसी 733] में रिपोर्ट किया गया है को स्पष्ट किया गया था। इस न्यायालय ने देखा कि नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) की संवैधानिक वैधता को केरल उच्च न्यायालय ने 14.03.2003 के एक आदेश द्वारा बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ एक अपील दायर की गई थी। इसलिए, सिविल अपील की सुनवाई फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया। एक अंतरिम आदेश पारित किया गया कि अगले आदेश तक, नियमों का नियम 5, जैसा कि उसमें पुनः प्रस्तुत किया गया है, लागू रहेगा। इसके बाद उक्त अपील को इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया। इसका निस्तारण 28.10.2005 को किया गया। इस न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम अनुचित नहीं थे, यह कहते हुएः

".....छूट देने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है। इसे आगे नहीं सौंपा जा सकता है। शक्ति का प्रयोग राज्य को एक इकाई के रूप में संदर्भित करके किया जाएगा, न कि जिलों के संदर्भ में, ताकि अलग-अलग तारीखों को निर्दिष्ट किया जा सके। जिलों, यह उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि राज्य सरकार उचित सावधानी और सतर्कता के साथ और सार्वजनिक हित में शक्ति का उपयोग करेगी। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि छूट का दायरा दिनों की संख्या बढ़ाकर या अवधि को दो घण्टे से अधिक बढ़ाकर नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि एेसा करने का प्रयास किया जाता है, तो छूट देने की शक्ति प्रदान करने वाला उक्त उप-नियम (3) संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन के रूप में रद्द किया जा सकता है। हम यह स्पष्ट करते है कि राज्य सरकार को आम तौर पर उन दिनों की संख्या और विवरण पहले से निर्दिष्ट करना चाहिए जिन पर एेसी छूट लागू होगी। इस तरह के विनिर्देश शक्ति के प्रयोग में मनमानेपन को बाहर कर देंगे। जब छूट दी जाएगी, शान्त क्षेत्र पर लागू नहीं होगी। यह केवल एक स्पष्टीकरण के रूप में है, अन्यथा यह विधि की स्थिति है।"

23. राज्य सरकार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अलावा इस न्यायालय के आदेश से भी बंधी है। यदि छूट और/या संशोधन का कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता है, तो इसे केवल उपरोक्त दो रिट याचिकाओं में इस न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जाना है। इस प्रकार, हमारी राय में, एक अलग रिट याचिका विचारणीय नहीं थी।

24. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.बी.बी. अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डा॰. कैलाश चन्द्र अटवासिया (आर.जे.एस.), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर (राजस्थान) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।